शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 18.12.2024

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिन दहाड़े युवक द्वारा अपनी रिश्ते मे साली की चाकू से वार कर हत्या कर देने वाले अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा लालातेली बजरिया मे घर मे घुसकर लडकी की चाकू से वार कर हत्या करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.12.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सविनय सक्सेना पत्नी स्व0 सुरेश बाबू सक्सेना निवासी मोहल्ला लाला तेली बजरिया थाना सदर बाजार शाहजहांपुर द्वारा अंशुल शर्मा द्वारा वादिनी की पुत्री की चाकू से वार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 826/2024 धारा 103(1),333,131 बी.एन.एस. बनाम अभियुक्त अंशुल शर्मा उर्फ रवि शर्मा पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी।

मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए घटना स्थल से ही आलाक्तल बरामद किया गया एंव फील्ड यूनिट की मदद से घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्य संकलित किये गये नामजद अभियुक्त की तलाश करने के क्रम मे दिनांक 17.12.2024 मे घटना के 24 घण्टे के अन्दर ही थाना सदर बाजार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जब थाना सदर पुलिस वाछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी मे मामूर थे तो मुखबिर की सूचना के आधार पर समय 22.44 बजे सुभाषनगर पुलिया के पास से मुकदमा उपरोक्त मे नामजद अभियुक्त अंशुल शर्मा उर्फ रवि शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी मोहल्ला महमन्द जलालनगर, निकट अहमद उल्ला शाह स्कूल, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना कारित करने जुर्म का इकबाल किया है जिस पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.अंशुल शर्मा उर्फ रवि शर्मा पुत्र सतीश शर्मा निवासी मोहल्ला महमन्द जलालनगर, निकट अहमद उल्ला शाह स्कूल, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 34 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 826/2024 धारा 103(1),333,131 बी.एन.एस. बनाम अभियुक्त अंशुल शर्मा उर्फ रवि शर्मा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, थाना सदर बाजार
2.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार, थाना सदर बाजार
3.उ0नि0 श्री सुनील कुमार मौर्या , थाना सदर बाजार
4.कां0 2515 नरेन्द्र कुमार, थाना सदर बाजार
5.कां0 2180 प्रवीण कुमार थाना सदर बाजार शाहजहांपुर

पूछताछ का विवरण :- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरी शादी (लव मैरेज) दिनांक 22.01.2021 को वर्तिका उर्फ रूबी पुत्री स्व0 सुरेश बाबू सक्सेना निवासी मो0 लाला तेली बजरिया से हुई थी, । जब मेरी शादी हुई तो वर्तिका के परिवार वाले शादी का विरोध करते थे क्योंकि मेरी जाति बढ़ई है और वर्तिका की जाति(सक्सेना) दर्जी थी, लेकिन वर्तिका ने मुझसे शादी की जिद की, तो परिवार वाले मान गये थे, लेकिन मेरा घर कच्चा था, ठीक से बना नहीं था, तो वर्तिका की माँ ने कहा कि पहले ठीक से घर बनवा लो फिर शादी कर लेना मैंने कहा मेरे पास इतने रूपये नहीं है तो वर्तिका की माँ ने कहा कि रूपये हम दे देंगे, तुम बाद में हमें वापस कर देना । तो शादी से 9...10 महीने पहले वर्तिका की माँ सविनय सक्सेना ने मुझे पहले नकद साढ़े तीन लाख रूपये दिये, फिर दो महीने बाद साढ़े तीन लाख रूपये और दिये । इस तरह कुल मिलाकर सात लाख रूपये दिये, जो मुझे नकद दिये थे । मैंने अपने घर में 2 कमरे, किचन, बाथरूम, टायलेट आदि बनवाये, जो कि अपने पुराने कच्चे दादालायी मकान को गिराकर बनाये गये थे । फिर राजी खुशी मेरी शादी हुई । मेरी शादी में केवल वर्तिका के परिवार के लोग ही शामिल हुए थे । इनके अन्य कोई रिश्तेदार नाराजगी की वजह से नहीं आये थे । शादी के बाद मैं और वर्तिका साथ रहने लगे । तीज त्यौहार पर हम वर्तिका के घर जाते थे । फिर हमारी शादी के दो साल बाद मेरी सास सविनय सक्सेना ने अपने सात लाख रूपये मुझसे वापस माँगने शुरू कर दिये थे, जो मैं वापस नहीं कर पा रहा था । फिर कई बार मेरे घर पर आकर वह अपने पैसे वापस माँगती थी । चूंकि मेरे पास अपनी सास सविनय सक्सेना को वापस देने के लिए रूपये नहीं थे । मेरी सास और मेरा साला अंकुश सक्सेना अक्सर मेरे ऊपर सात लाख रूपये वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे और आये दिन मेरे घर आकर मेरी बेइज्जती करने लगे । मैं रूपये देने की स्थिति में नहीं था, तो मैंने अपने छोटे भाई पंकज शर्मा उर्फ छोटू की शादी अपनी साली नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना के साथ कराने के लिए अपनी सास और साले से बात की और कहा कि नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना हमारे घर में हो जाएगी, तो आपका जो भी खर्चा है, वह बच जाएगा, लेकिन उनके द्वारा शादी करने से साफ मना कर दिया । मैंने कई बार अपनी साली नितिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना से भी बात करके उसे अपने छोटे भाई से शादी करने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और मुझे ताना दिया कि तुम्हारी और तुम्हारे भाई की इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करूँ । इसी कारण से मैं बहुत दिन से अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था और इन्हें सबक सिखाने की सोच रहा था । इसीलिए मैंने अब से करीब दो महीने पहले बड़ा धारदार चाकू किसी ठेले वाले से चलते फिरते खरीद लिया था । तभी से मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने की फिराक में था । दिनांक 16.12.2024 की रात को मैंने खूब शराब पी थी और कल दिनांक 17.12.2024 को समय करीब 10:00 बजे अपने घर के पीछे चबूतरे पर वर्तिका के घर को जाने वाली गली के सामने शराब पी थी । इसी बीच समय करीब 11:15 बजे नीतिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना जो कोचिंग से वापस घर आयी, तो मैंने उसे घर जाते हुए देखा था, फिर 15-20 मिनट के बाद मैं नीतिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना के घर में गया । चाकू मेरे पास था, जो मैं अपनी जैकेट/हूडी की जेब में रखकर ले गया था । घर का दरवाजा खुला था, मेरी साली नीतिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना अपने कमरे में बेड पर बैठी थी, मेरी सास सविनय सक्सेना आंगन में कुछ काम कर रही थी । मैं नीतिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना के कमरे में गया, तो नीतिका सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पीठ करके अलमारी की तरफ मुँह करके बेड पर बैठी थी, फिर मैंने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिये, वह बेड पर गिरी, इसी दौरान वह तड़प कर बेड से नीचे दरवाजे की तरफ गिर गई । इतने में ही मेरी सास सविनय सक्सेना कमरे में आ गईं और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर खुद को छुड़ाकर चाकू को कमरे के बाहर तखत पर फेंककर भागा और भागते समय बाथरूम के दरवाजे से टकराकर गिर गया । निकिता सक्सेना उर्फ कोमल सक्सेना पर वार करते समय मेरे हाथ में मेरा चाकू लग गया था, जिससे खून निकल रहा था, जो मैंने वहीं पर धोया भी था और फिर मैं वहाँ से भाग गया । फिर मैं घबरा कर अपने हाथ में लगी चोट का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल भी गया था और वहाँ से पट्टी कराकर भागकर छिप गया था। जब मै बरेली जाने के लिये सुभाषनगर पुलिया के पास था तो पुलिस द्वारा मुझे पकड लिया गया ।